

**भारतीय स्टेट बैंक**  
**शेयरधारकों की महासभा**  
**उपस्थिति पर्ची**

दिनांक : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

फोलियो क्र : 

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

डी.पी. / ग्राहक आई.डी.क्र. : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

शेयरधारक/ प्रथम धारक का पूरा नाम :  
.....  
(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे/डी.पी. के रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता : .....  
..... पिन 

--	--	--	--	--	--

कुल धारित शेयरों की संख्या : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक, मतपत्र द्वारा  
मतदान के मामले में : 

--	--	--	--	--	--	--	--

 से 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 तक

क्या भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम 31 के अनुसार मत देने का अधिकार है : हाँ/नहीं  
यदि हाँ, तो मतों की संख्या जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में) :

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप से																			
प्रॉक्सी के रूप में																			
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में																			
<b>योग</b>																			

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

सील/मोहर :

नोट :

- i) भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- ii) यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारी है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।
- iii) वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।
- iv) शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभास्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाणपत्र जैसे - पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

विनियम 31\* मताधिकार का निर्धारण

- i) अधिनियम की धारा 11 में संविष्ट प्रावधानों के अद्यतन प्रत्येक शेयरधारक को किसी महासभा की तिथि से तीन माह पूर्व की न्यूनतम अवधि के लिये एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत रहा है। को ऐसी सभा में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार है।
- ii) केंद्रीय सरकार को छोड़कर, प्रत्येक शेयरधारक जिसे उपरोक्तानुसार मतदान का अधिकार है और जो कम्पनी न होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है अथवा एक कम्पनी होने की दशा में किसी विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है, को हाथ उठाकर मतदान के मामले में एक मत और मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में उस सभा की तिथि से पूर्व की तीन माह की सम्पूर्ण अवधि में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार होगा।
- iii) केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ उठाकर मतदान के मामले में एक और मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में उस सभा की तिथि से पूर्व की तीन माह की सम्पूर्ण अवधि में धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार होगा।